



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2340]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2013/आश्विन 12, 1935

No. 2340]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2013/ASVINA 12, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2013

का.आ. 3022(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खंड (चक) के अनुसरण में “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012” में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (i) इस आदेश का संक्षिप्त नाम “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2013” है ।
2. (ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
1. “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012” में पैरा 3क के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उसके द्वारा समय-समय पर लेखबद्ध किये जाने और उसके द्वारा यथापरिलक्षित वाले कारणों से अनुसूची में वर्णित विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा उत्पादों के प्रकार या श्रेणी को इस आदेश को लागू करने से छूट दे सकेगा ।”

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या का.आ. 2357(अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संख्या का.आ. 822 (अ), तारीख 20 मार्च, 2013, संख्या का.आ. 2034 (अ), तारीख 25 जून, 2013 तथा संख्या का.आ. 2033 (अ), तारीख 2 जुलाई, 2013 द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया था ।

(डीईआईटीवाई फा. सं. 37 (1)/ 2013-आईपीएचडब्ल्यू)

अरूण सचदेव, वैज्ञानिक “जी”

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Department of Electronics and Information Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2013

S.O. 3022(E).—In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (1) of Section 10 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Central Government, hereby makes the following further amendments to the Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012, namely :—

1. (i) This Order may be called the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) (Second Amendment) Order, 2013”.

(ii) It shall come in to force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012”, the following paragraph shall be inserted after Paragraph 3A, namely :—

“The Department of Electronics and Information Technology may exempt, the application of this order to specific article or type or range of products mentioned in the Schedule for reasons to be recorded in writing and as identified by it from time to time.”

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 2357(E), dated the 3rd October, 2012 and was subsequently amended *vide* number S.O. 822(E), dated the 20th March 2013, No. S.O. 2034(E) dated 25th June, 2013 and No. S.O. 2033(E) dated 2nd July, 2013.

[DeitY F. No. 37(1)/2013-IPHW]

ARUN SACHDEVA, Scientist ‘G’